न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 64 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/58)
पंजीयन दिनांक– 11.02.2021
निर्णय दिनांक– 23.04.2021

1. श्री रामसिंह पिता अमृतराम जाट, निवासी शाहबाद, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. जे. के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः– (वक्त बहस)
1. श्री संजय सैन –अधिवक्ता अपीलांट
2. आर. एस. चौहान / श्री सुरेश सांखला –अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 36 / 2017
निर्णय दिनांक 27.08.2019

निर्णय

दिनांक 23.04.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 36 / 2017 निर्णय दिनांक 27.08.2019 के विरूद्ध दिनांक 22.10.2019 को राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ से स्थानांतरण से प्राप्त होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के यहां दिनांक 12.06.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के

क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/अप्रार्थी की मौजा शाहबाद, तहसील निम्बाहेडा के खसरा नम्बर 7 व 8 में से रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट/प्रार्थी जे. के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा ने खनन पट्टा लीज में होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत मुआवजा तय करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना रेस्पोडेंट/प्रार्थी कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को आधार बना मुआवजा राशि तय की। उपरोक्त क्रम में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति भी पेश की गई परंतु रेस्पोडेंट/प्रार्थी प्रभावशाली कंपनी होने से अपीलांट/अप्रार्थी काश्तकार की आपत्ति पर कोई विचार न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 36/2017 दर्ज कर निर्णय दिनांक 27.08.2019 से अवाप्ति का आदेश जारी किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सैन उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर अधिवक्ता श्री आर. एस. चौहान/श्री सुरेश सांखला उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.03.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी कंपनी अपीलांट/अप्रार्थी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि की आवश्कता बताकर अवाप्त करना चाह रहा था, जबकि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खनन पट्टे की अवधि ही मई, 2018 में समाप्त हो रही थी। इसलिए रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि अवाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास पूर्व से ही भूमि उपलब्ध होने से अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि सड़क के पास लगी होने से अवासीय एवं व्यवसायिक दर से मुआवजा तय किया जाना चाहिए था। भूमि अवाप्त करने से अपीलांट/अप्रार्थी का परिवार बेरोजगार हो गया है। इस कारण अपीलांट/अप्रार्थी के परिवार को समुचित रोजगार हेतु रेस्पोडेंट/प्रार्थी कंपनी के यहा नियुक्ति या व्यवसायिक कार्य दिलाया जाने एवं अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि उपजाऊ होने तथा रोड के पास स्थित होने से बाजार दर से 50.00 लाख रूपये प्रति बीघा से मुआवजा दिलाया जाने के साथ अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम शाहबाद की आराजी नम्बर 7 रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 8 रकबा 0.81 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर रेस्पोडेंट/प्रार्थी कंपनी के स्वीकृत खनन क्षेत्र में स्थित होकर खनन कार्य हेतु आवश्यकता होने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय उचित एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 89 के तहत जिला कलक्टर द्वारा

तयशुदा मुआवजे की राशि को कम होना बताया है व इसका प्रमुख आधार अनुचित मौका रिपोर्ट व प्रभाव में आकर बनाना बताया है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिपूर्वक मुआवजा तय किया है। अपीलाण्ट द्वारा कहीं भी ऐसे कोई प्रभावी आधार नहीं बताये गये जिससे उक्त मुआवजा त्रुटिपूर्ण हो। इन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि विधिनुसार मुआवजे से अपीलाण्ट/हितधारी संतुष्ठ न हो तो उसे मुआवजे के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिये अर्थात् ऐसे प्रकरणों में जहां हितधारी धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर द्वारा तयशुदा मुआवजे से संतुष्ठ नहीं है तो उसे सिविल न्यायालय में ही वाद करना चाहिये।

उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील सारभूत नही होने व क्षेत्राधिकारविहीन है, अतएवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर